उत्तर प्रदेश शासन

आयुष अनुभाग-1

संख्या-13/2018/1349/96-आयुष-1-2018-57/2018

लखनऊ; दिनांक 30 मार्च, 2018

शुद्धिपत्र

बुन्देलखण्ड राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, झांसी के बाउण्ड्रीवाल के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-7/2018/1327/96-आयुष-1-2018-57/2018; दिनांक 28 मार्च, 2018 के प्रस्तर-3 में त्रुटिवश लेखाशीर्ष का उपशीर्ष "05-आयुर्वेदिक कालेज तथा सम्बद्ध अस्पताल" के स्थान पर "04-यूनानी औषधि निर्माणशाला" टंकित हो गया है।

2- अतः उक्त शासनादेश में लेखाशीर्ष का उपशीर्ष "05-आयुर्वेदिक कालेज तथा सम्बद्ध अस्पताल" पढ़ा जाय।

3- उक्त आदेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

शैलेन्द्र कुमार
उप सचिव।

संख्या-13/2018/1349/96-आयुष-1-2018; तद्-दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, झांसी।
(4) वित्त नियंत्रक, आयुर्वेद सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
(5) प्रधानचार्य एवं अधीक्षक, बुन्देलखण्ड राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, झांसी।
(6) महाप्रबन्धक, उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड, लखनऊ।
(7) आयुष अनुभाग-2/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से

शैलेन्द्र कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।